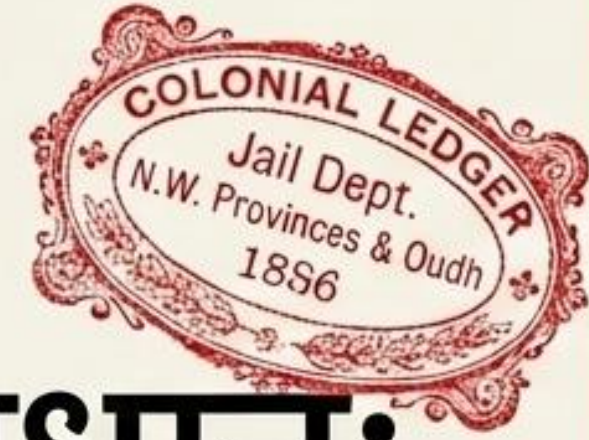
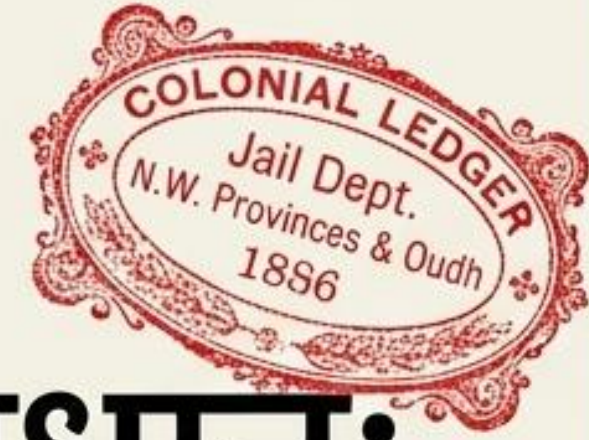




औपनिवेशिक दंड विधान: 1886 के अभिलेख

अपराधशास्त्रीय अंतर्दृष्टि
द्वारा
डॉ. मृदुल श्रीवास्तव



औपनिवेशिक दंड विधान: 1886 के अभिलेख

विभाग: जेल विभाग, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और
अवध

समय: अप्रैल – जून 1886

विषय: औपनिवेशिक जेल प्रणाली का संस्थागत
विश्लेषण

1886 के जेल विभाग के ऐतिहासिक नियम और प्रशासन

यह इन्फोग्राफिक 1886 में जेल विभाग के महानिरीक्षक द्वारा जारी किए गए विभिन्न आधिकारिक परिपत्रों का सारांश है। इसमें कैदियों की सजा, अपील की प्रक्रिया और जेल प्रशासन के आंतरिक अनुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को संकलित किया गया है।



कैदियों के अधिकार और सजा के नियम



- ◆ कोड़े मारने की सजा और अपील का अधिकार
कोड़े मारने की सजा होने पर, फैसला मिलने से पहले भी अपील स्वीकार की जा सकती है और सजा रोकी जा सकती है।



- ◆ श्रम के माध्यम से सजा में छूट (Remission)
साधारण कारावास वाले कैदी सजा में छूट पाने के लिए श्रम (Labor) हेतु आवेदन कर सकते हैं।



- ◆ 'गुड कंडक्ट रूल्स' में बदलाव
कैदियों के अच्छे आचरण से संबंधित नियमों (धारा 434) में प्रशासनिक सुधार और प्रतिस्थापन किया गया।



प्रशासनिक रिपोर्टिंग और कर्मचारी प्रबंधन



- ◆ किशोर अपराधियों की विशेष निगरानी
- ◆ कर्मचारियों के तबादले की शर्तें



उन किशोरों का डेटा एकत्र करना अनिवार्य था जिन्हें कोड़े के बजाय जेल भेजा गया, पर सुधार गृह नहीं।



अधीनस्थ कर्मचारियों का तबादला केवल स्वास्थ्य या सार्वजनिक सेवा के ठोस आधार पर ही संभव था।

किशोर अपराधियों के लिए आवश्यक रिपोर्टिंग प्रारूप

Judic. 3 official Ledger		Hawwa Jamo. O / P. Aliyer	
रिपोर्ट का कॉलम	आवश्यक जानकारी	न्यायिक विवरण	
व्यक्तिगत विवरण	कैदी का नाम और उसकी आयु	• किया गया अपराध और सुनाई गई सजा • सजा देने वाली अदालत का नाम	



उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध का जेल प्रशासन

- **मुख्य अधिकारी:** जेल महानिरीक्षक आर. टी. होबार्ट और कर्नल एच. एम. स्टैनली क्लार्क
- **प्रशासनिक लक्ष्य:** 1886 में जेल प्रणाली को मनमाने दंड से हटाकर एक सख्त, संहिताबद्ध नौकरशाही में बदलना।

परिपत्र सं. 24 (अप्रैल 1886)

परिपत्र सं. 26 (मई 1886)

परिपत्र सं. 27 (मई 1886)

परिपत्र सं. 28 (जून 1886)

परिपत्र सं. 29 (जून 1886)

1886 के परिपत्रों का विषयवार विश्लेषण



कानूनी संशोधन

सूक्ष्म वैधानिक बदलाव
(परिपत्र 24)



दंड और अपील

कोड़े मारने की सजा और
अपील के अधिकार
(परिपत्र 26)



श्रम और अर्थव्यवस्था

सजा में छूट के बदले श्रम
(परिपत्र 27)



प्रशासनिक पदानुक्रम और बाल न्याय

कर्मचारियों के तबादले और
बाल अपराधियों का प्रबंधन
(परिपत्र 28 और 29)

अच्छे आचरण के नियमों में सूक्ष्म संशोधन

Requests that in the concluding para: of
the New Good Conduct Rules line 3rd Viz: (except
Sections 426, 427, 534 and 447 Indian Penal Code)
and in this Office Circular No. 9 dated 2nd March,
1886 Section 434 be substituted for Section 534.

Find & Replace

परिपत्र संख्या 24 (20 अप्रैल 1886)

हटाएं (Remove)

Section 534 (Indian Penal Code)

स्थापित करें (Replace with)

Section 434

निष्कर्ष: यह आदेश औपनिवेशिक प्रशासन की कागजी सटीकता और नौकरशाही के सूक्ष्म प्रबंधन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं (426, 427, 447) के अपवादों का कड़ाई से पालन किया गया।

कोड़े मारने की सजा और अपील का अधिकार

JAIL 1886. DEPT.

FROM THE INSPR.-GENL. OF PRISONS,
North-Western Provinces & Oudh.

To THE SUPERINTENDENTS
OF JAILS,
North-Western Provinces & Oudh.

Dated Lucknow:
The 25 May, } No. 26
Received

SUBJECT.
PRISONERS' APPEALS

Under the orders of Government the following exception will be made to Rule V Para: 721 Jail Manual.
Subject Prisoners' Appeals.

"When the sentence includes the punishment of whipping the appeal shall be received by the Superintendent even though unaccompanied by a copy of the judgment or order (provided that it be presented within 15 days) and the infliction of whipping postponed till the result of appeal shall be known. The appeal need not be forwarded to the appellate Court until a copy of the judgment or order has been received."

for *Swalsh*
Insp. Genl. of Prisons,
North-Western Provinces & Oudh.



15 दिन की मोहलत

अपील 15 दिनों के भीतर जेल अधीक्षक को सौंपी जानी चाहिए।



दस्तावेज की अनिवार्यता नहीं

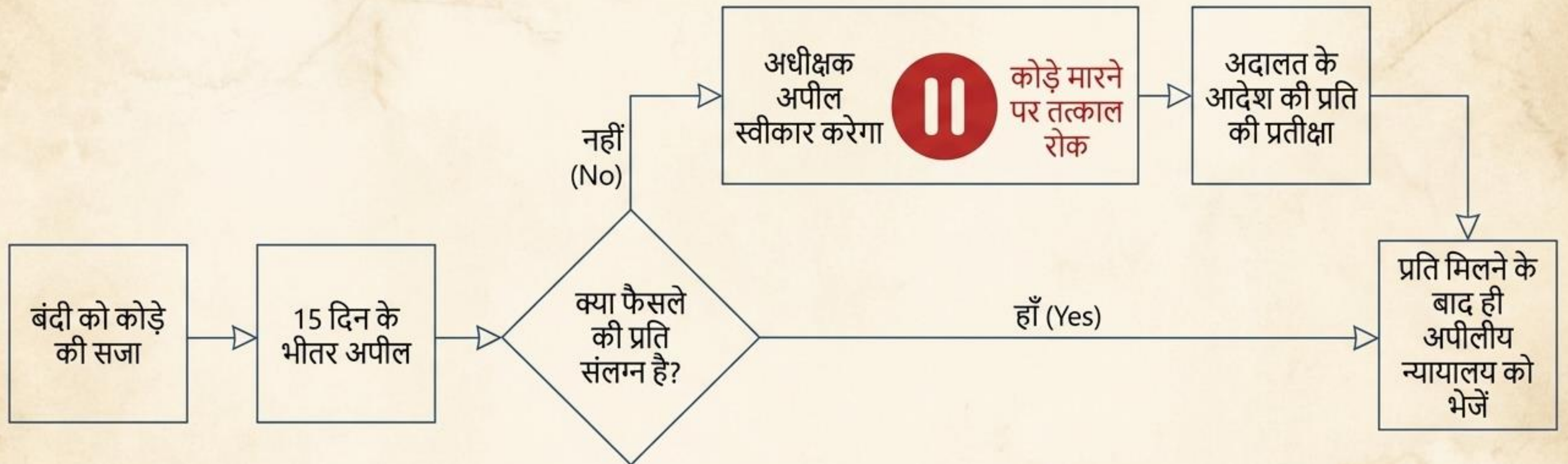
फैसले की प्रति (judgment copy) के बिना भी अपील स्वीकार्य है।



सजा पर रोक

अपील का परिणाम आने तक कोड़े मारने की सजा स्थगित रहेगी।

कोड़े की सजा पर अपील की प्रक्रिया



SUBJECT.

GENTLEMEN,

I have the honor to beg your attention to the provisions of rule 2A, and C of Rules for remission of sentence published under Resolution of Government of India No. ¹⁴ 899-909 dated 8rd July, 1884, as regards persons imprisoned in lieu of fine, and those undergoing simple imprisonment, and to request that you will cause all such persons to be made acquainted with the rule immediately on their entering on such terms of imprisonment with a view to their applying

Any application subsequently made will not entitle those only who labor "throughout" rule which affect imprisonment.

For E. C. Walsh
Inspector-General of Prisons,
North-Western Provinces & Oudh.

श्रम के बदले सजा में छूट का सिद्धांत

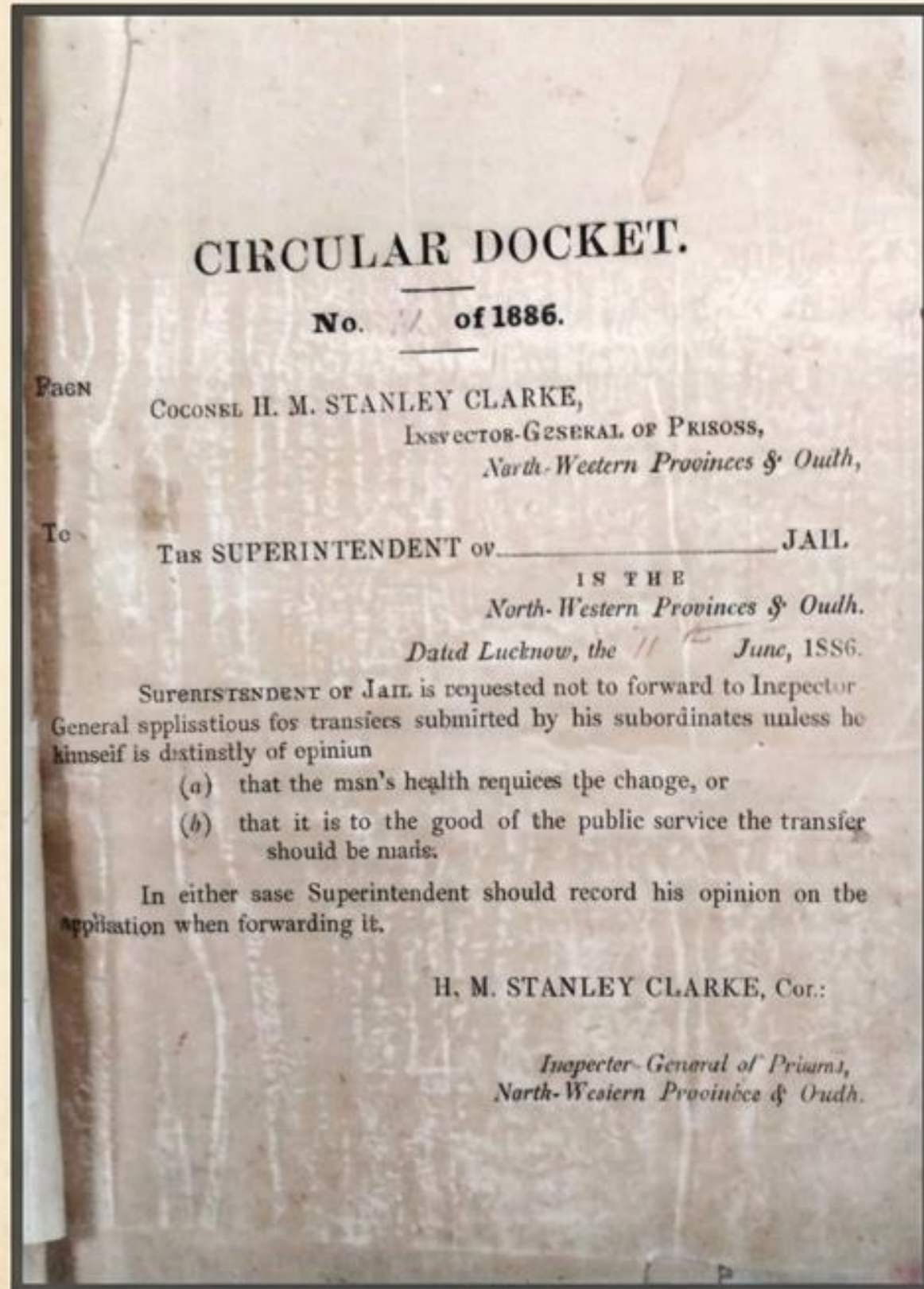
- परिपत्र सं. 27 (26 मई 1886)
- **नियम:** 'जुर्माने के बदले कारावास' और 'सादा कारावास' काट रहे बंदी श्रम के बदले सजा में छूट के पात्र हैं।
- **शर्त:** बंदियों को जेल में प्रवेश करते ही तुरंत श्रम के लिए आवेदन करना होगा।
- **सबसे महत्वपूर्ण:** बाद में किया गया आवेदन अमान्य होगा; छूट केवल उन्हें मिलेगी जो अपनी पूरी सजा के दौरान निरंतर श्रम ('throughout') करेंगे।

श्रम और छूट की पात्रता मैट्रिक्स

	तुरंत आवेदन (Immediate Application)	विलंबित आवेदन (Delayed Application)
जुर्मने के बदले कारावास	 स्वीकृत (छूट के पात्र)	 अस्वीकृत (कोई छूट नहीं)
सादा कारावास	 स्वीकृत (छूट के पात्र)	 अस्वीकृत (कोई छूट नहीं)

निष्कर्ष: औपनिवेशिक व्यवस्था में श्रम एक अधिकार नहीं, बल्कि एक सख्त अनुबंध (strict contract) था जिसे पहले दिन से लागू करना अनिवार्य था।

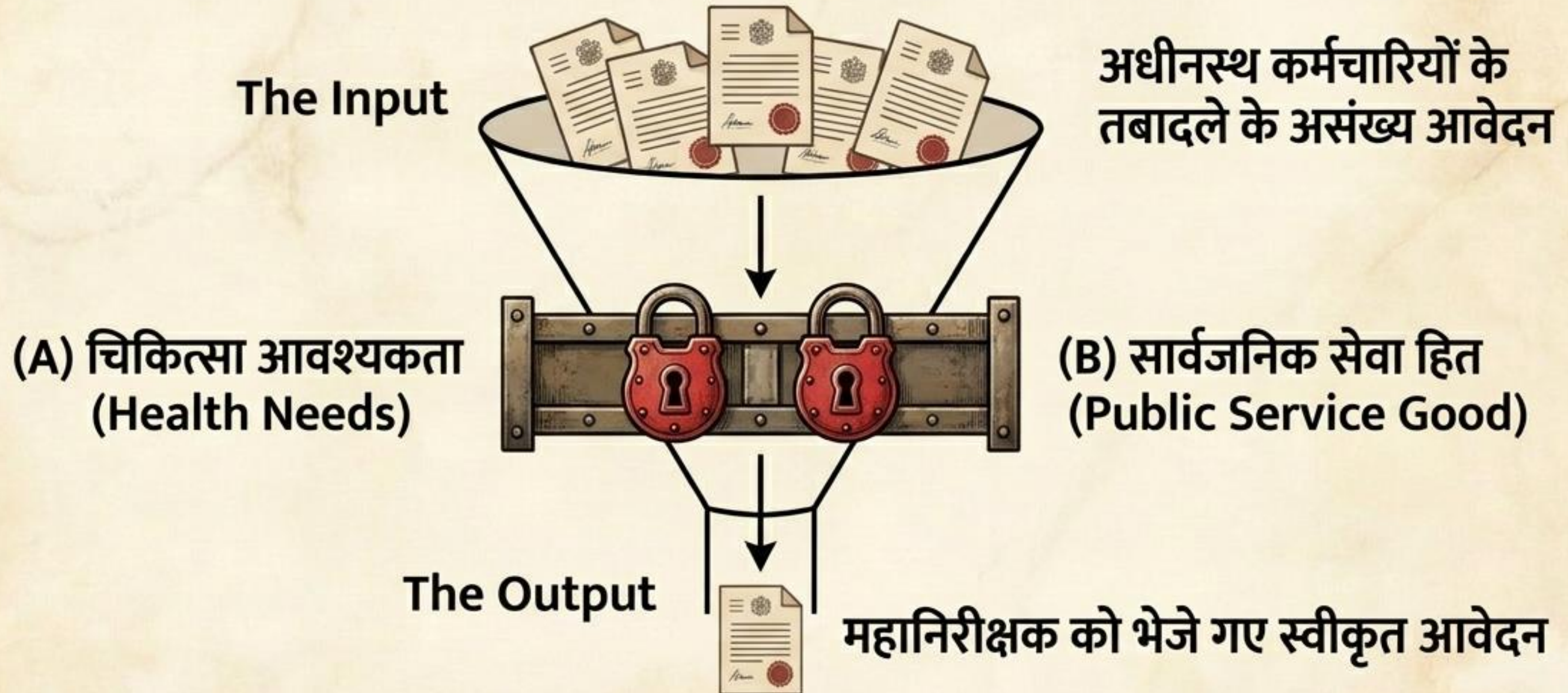
जेल कर्मचारियों के तबादले पर सख्त नियंत्रण



परिपत्र सं. 28 (11 जून 1886)
प्रेषक: कर्नल एच. एम. स्टैनली क्लार्क
(महानिरीक्षक)
समस्या: अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा
तबादले के अनावश्यक आवेदन।

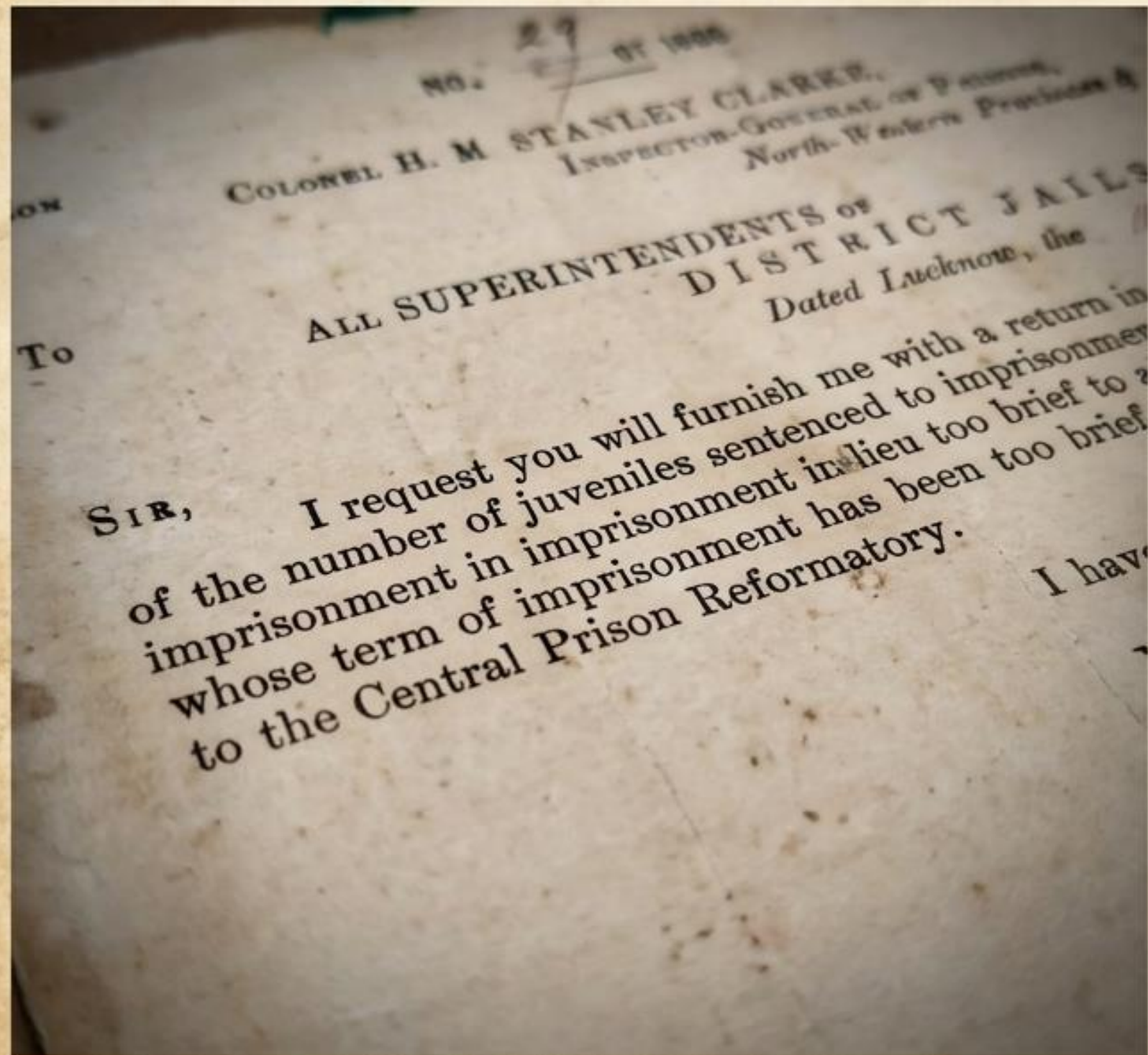
“ जेल अधीक्षक किसी भी तबादले के आवेदन को महानिरीक्षक को तब तक नहीं भेजेंगे जब तक वे स्वयं संतुष्ट न हों कि तबादला अत्यंत आवश्यक है। ”

तबादले के लिए अनिवार्य शर्तें



अधीक्षक को आवेदन आगे बढ़ाते समय अपनी लिखित राय (written opinion) दर्ज करना अनिवार्य था।

बाल अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान



परिपत्र सं. 29 (11 जून 1886)

औपनिवेशिक व्यवस्था ने बाल अपराधियों (Juveniles) और वयस्कों के बीच वैधानिक अंतर करना शुरू कर दिया था।

प्रशासनिक चुनौती

जिन बालकों को 'कोड़े के बदले कारावास' मिला और जिनकी सजा की अवधि बहुत कम थी, उन्हें 'केंद्रीय जेल सुधार गृह (Central Prison Reformatory) में नहीं भेजा जा सकता था। महानिरीक्षक ने इस व्यवस्था व्यवस्थागत खामी को समझने के लिए सभी मामलों का विस्तृत डेटा तलब किया।

1886 का बाल अपराध रिकॉर्ड प्रारूप

1st Jan - 30th June
1886

क्रम संख्या	नाम	आयु	अपराध	सजा	न्यायालय (जिसने सजा दी)	टिप्पणी

यह प्रपत्र दर्शाता है कि प्रशासन बाल अपराधियों का एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार कर रहा था।

1886 की दंड प्रणाली की रूपरेखा

	दंड की प्रकृति (Nature)	अपील का अधिकार (Appeals)	श्रम से छूट (Remission)
सादा कारावास	गैर-शारीरिक	सामान्य	हाँ (यदि तुरंत आवेदन हो)
जुर्मनि के बदले कारावास	गैर-शारीरिक	सामान्य	हाँ (यदि तुरंत आवेदन हो)
कोड़े की सजा	शारीरिक दंड	सजा पर तत्काल रोक	लागू नहीं
बाल सुधार गृह	सुधारात्मक	लागू नहीं	लागू नहीं

ब्रिटिश औपनिवेशिक जेल प्रणाली के तीन स्तंभ

औपनिवेशिक जेल प्रशासन
(1886)

**नौकरशाही सूक्ष्म
प्रबंधन**

नियमों में एक शब्द का
बदलाव (परिपत्र 24)
और तबादलों पर सख्त
नियंत्रण (परिपत्र 28)
प्रशासन की केंद्रीकृत
पकड़ को दर्शाते हैं।

**मुद्रा के रूप में
श्रम**

सजा कम कराने के
लिए 'निरंतर श्रम' की
शर्त (परिपत्र 27)
जेलों को आर्थिक
उत्पादन केंद्रों में
बदल रही थी।

श्रेणीबद्ध न्याय

वयस्कों के कोड़े
(परिपत्र 26) और
बालकों के सुधार
(परिपत्र 29) के लिए
अलग-अलग नियम
कानूनी जटिलता के
विकास को दर्शाते हैं।

दस्तावेजों में दर्ज औपनिवेशिक न्याय की प्रतिध्वनि

1886 के ये पाँच परिपत्र केवल प्रशासनिक आदेश नहीं हैं; ये एक ऐसी प्रणाली के जीवित प्रमाण हैं जो मनमाने दंड से हटकर एक सख्त, संहिताबद्ध और ठंडी नौकरशाही में परिवर्तित हो रही थी। ये पीले पड़ चुके पन्ने आज भी उस व्यवस्था की गवाही देते हैं जहाँ न्याय, श्रम और अनुशासन को फाइलों में कैद किया गया था।

*Inspr.-Genl. of Prisons,
North-Western Provinces & Oudh.*